

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्याम सुन्दर बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 227 / 2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	<p>अपीलार्थी श्यामसुन्दर त्रिपाठी, पता आरतीनगर, पाल जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.05.2022 में (1) नवीन औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सेनाई में निगम द्वारा गठित स्थल पर चयन समिति द्वारा दिनांक 11.03.2020 को निरीक्षण कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1000 दिनांक 18.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 630 दिनांक 17.05.22 द्वारा कुल 08 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 16/- इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा सूचना का निर्धारित शुल्क राशि जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपीलार्थी की अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	